संख्या-42/2021/944/22-2-2021-17(1052)/2019

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 12 मार्च, 2021***

विषय:-आजीवन कारावास से दण्डित बन्दियों की प्रत्येक गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी, 2021) के अवसर पर जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सत्यव्रत राय पुत्र स्व0 दानबहादुर राय, निवासी जनपद-गोरखपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5384/प्रोबेशन-6/स्थायी नीति/2021, दिनांक 05.03.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सत्यव्रत राय पुत्र स्व0 दानबहादुर राय, ग्राम-बेली बुजुर्ग, थाना-सिकरीगंज, जनपद-गोरखपुर का निवासी है। अभियुक्त द्वारा दिनांक 21.06.1997 को पुरानी रंजिश के कारण 02 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-142/1998 में मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-01, गोरखपुर के आदेश दिनांक 16.06.2007 द्वारा भा0द0वि0 की धारा-302/34, 452 के अन्तर्गत आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसके विरूद्ध क्रिमिनल अपील संख्या-5206/2007 राजीव तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य के साथ सम्बद्ध क्रिमिनल अपील संख्या-4149/2007 सत्यव्रत राय बनाम उ0प्र0 राज्य मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित की गयी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पारित आदेश दिनांक 23.05.2014 का संगत अंश निम्नवत है:-

To our view, finding given by the trial court that the prosecution has succeeded to prove the guilt of the accused persons beyond shadow of all reasonable doubt, does not suffer from any illegality or irregularity. Learned counsel for the appellants has failed to show any patent illegality or irregularity in the judgment of the trial court which can be interfered by this Court in this appellate jurisdiction. To our view, the prosecution has succeeded to prove the guilt of the accused persons beyond shadow of all reasonable doubt and the judgment of the trial court is well founded and there is no reason in this appellate jurisdiction to interfere in the judgment of the trial court and this appeal has got no force and is liable to be dismissed.

Both the above criminal appeals are, hereby, dismissed. Both the appellants-Rajeev Kumar Tiwari alias Babloo and Satyabrat Rai are on bail. Their bail bonds are cancelled. They will surrender immediately before the C.J.M., Gorakhpur. They shall be taken into custody and will serve out the sentences imposed upon them by the learned trial Court. In case they fail to surrender, the Chief Judicial Magistrate, Gorakhpur shall take coercive steps.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उक्त पारित आदेश दिनांक 23.05.2014 के विरूद्ध विशेष अनुज्ञा याचिका क्रिमि0 संख्या-1041/2015 सत्यव्रत राय बनाम उ0प्र0 राज्य मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित की गयी, जिसमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के पारित आदेश दिनांक 16.02.2015 निम्नवत है:-

The Special Leave Petition is dismissed.

4- याची/बंदी द्वारा अपनी समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में रिट याचिका क्रिमि0 संख्या-8418/2020 सत्यव्रत राय बनाम उ0प्र0 राज्य व 02 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित की है, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय के पारित ओदश दिनांक 15.12.2020 निम्नवत है:-

" 6. Perusal of these reports makes it abundantly clear that petitioner was taken into custody in the case originating from Case Crime No.1311 of 1997, under Sections 302, 452, 506 on 18.03.1998 and, therefore, in this case, his custody is to be counted from the said date.

7. Sri A.K. Sand, learned AGA for the State submits that if this is the fact that learned CJM, Gorakhpur had taken petitioner in custody on 18.03.1998, then for the fault of the CJM, Gorakhpur to enclose custody warrants in the file and issue same to the concerned Jail Authorities, petitioner cannot be penalized.

8. Learned AGA prays for and is granted three week's time to place this matter before the competent authority i.e. the Additional Chief Secretary of the State dealing with the matter of remission to take a decision after reviewing his earlier order dated 02.03.2020."

5- मा0 उच्च न्यायालय,इलाहाबाद के उक्त आदेश के समादर में शासन द्वारा कार्यालय-ज्ञाप संख्या-313/22-2-2020-17(1052)/2019, दिनांक 02.03.2019 को निरस्त करते हुए कार्यालय-ज्ञाप संख्या-351/22-2-2021-25(11)/2020, दिनांक 16.01.2021 द्वारा बंदी की निरूद्धि की भी गणना करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही किये जाने के साथ ही बंदी की कारागार निरूद्धि अवधि की गणना की गयी, जिसके अनुसार बन्दी द्वारा दिनांक 26.01.2021 तक 17 वर्ष 02 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 06 माह 06 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। जेल रिपोर्ट दिनांक 26.01.2021 के अनुसार बंदी की आयु 49 वर्ष है।

6- उल्लेखनीय है कि दयायाचिका समिति की बैठक दिनांक 21.01.2021 में शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी0/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 के प्रस्तर-2(ख) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सत्यब्रत राय पुत्र स्व0 दानबहादुर राय की समयपूर्व रिहाई का स्वीकार प्रस्ताव वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार उ0प्र0 के पत्र दिनांक 23.01.2021 द्वारा शासन के विचारार्थ उपलब्ध कराया गया था, जिसके क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पर संविधान के अनुच्छेद 161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई औचित्यपूर्ण न पाते हुए सक्षम स्तर के निर्णयोपरान्त शासनादेश संख्या-18/2021/669/22-2-2021-17(1052)/2019, दिनांक 29.01.2021 द्वारा अस्वीकृत का आदेश निर्गत किया गया।

7- प्रकरण में अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में समयपूर्व रिहाई हेतु योजित रिट याचिका क्रिमि0 संख्या-8418/2020 सत्यव्रत राय बनाम उ0प्र0 राज्य व 02 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2021 निम्नवत है:-

" Sri Manish Goyal, the learned Addl. A.G. assisted by by Sri A.K. Sand prays for some more time to do the needfulas the matter is under active consideration of the authorities.

On his request and by way of last opportunity,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

list on 9.3.2021 at 3.45 PM.

The sealed cover envelope is being returned to the officeof the Registrar General and the same be placed beforeus on the next date fixed.

8- बन्दी द्वारा दिनांक 26.01.2021 तक 17 वर्ष 02 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 06 माह 06 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। प्रकरण में पुनर्विचार करते हुए दयायाचिका समिति की बैठक दिनांक 04.03.2021 द्वारा, शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी0/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 के प्रस्तर-2(ख) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत, सिद्धदोष बन्दी सत्यब्रत राय पुत्र स्व0 दानबहादुर राय की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है।

09- याची/बंदी की मां श्रीमती शान्ती देवी पत्नी स्व0 दानबहादुर राय, निवासी-जनपद गोरखपुर के प्रार्थना-पत्र दिनांक 07.02.2021 के क्रम में एवं मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 01.03.2021 के समादर में प्रकरण का सक्षम स्तर पर गहनतापूर्वक परीक्षण करते हुए प्रश्नगत प्रकरण को पुनिर्विचारित करते समय पाया गया कि मामले में ऐसा कोई नवीन तथ्य प्रकाश में नही आया है, जिसके कारण पूर्व में लिये गये निर्णय में परिवर्तन किया जा सके। उक्त के दृष्टिगत संविधान के अनुच्छेद 161 के अन्तर्गत बंदी की समयपूर्व रिहाई का सक्षम स्तर पर कोई औचित्य नहीं पाया गया।

10- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सत्यव्रत राय (बन्दी संख्या-266/2018) पुत्र स्व0 दानबहादुर राय, निवासी जनपद-गोरखपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई औचित्यपूर्ण न पाते हुए सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-42/2021/944(1)/22-2-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- श्री मनीष गोयल, अपर महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2- शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त वर्णित तथ्यों से मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद इलाहाबाद को प्रश्नगत याचिका में सुनवाई दिनांक 16.03.2021 के समय अवगत कराने का कष्ट करें।
3- श्री ए0के0 सण्ड, अपर शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
4- जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर।
5- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, बस्ती।
6- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज को इस आशय के साथ प्रेषित कि प्रकरण में शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित कर उक्त वस्तुस्थिति से मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अवगत कराने का कष्ट करें।
7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
8- श्रीमती शान्ती देवी पत्नी स्व0 दानबहादुर राय, ग्राम-बेली बुजुर्ग, थाना-सिकरीगंज, जनपद-गोरखपुर को उनके प्रार्थना-पत्र दिनांक 07.02.2021 के सन्दर्भ में।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in